फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लालसोट, जिला दौसा घासीलाल आदि बनाम पांचूलाल आदि किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0 नं.108 सन् 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही	तफ्सील
06.06.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप0/अप्रार्थी सं0 4, 5, 10, 14 की तलबी पूर्व में रजि0 ए.डी. से हो चुकी है। परन्तु बावजूद तामिल अनु0 है उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जा जाती है एवं अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3, 6 लगा0 9 व 11 लगा0 13 स्वयं व उनके अधिवक्ता को बार–बार आवाजे लगाई गई उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अध्ययन एवं मनन किया गया जिसमें प्रथम दृष्टया केस, प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाये जाते है। अतएव प्रकरण मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 24 बीघा 7 बिस्वा खसरा नं0 6 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा खसरा नं0 32 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं0 34 रकबा 6 बिस्वा खसरा नं0 36 रकबा 7 बिस्वा खसरा नं0 37 रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नं0 148/18 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा वाकै ग्राम भैरूवास तहसील लालसोट जिला दौसा में अप्रार्थीगण किसी हिस्सा विशेष का रहन, बय, हस्तान्तरण नही करे तथा न हि हिस्सा विशेष पर निर्माण कार्य करे स्वयं अपने सेवको साथियों परिजनो वारीसानो सहित मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिबंधित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साक्ष संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (मोहर सिंह मीना आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा	